

# समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

निविदा संख्या-01/2013-14

बाढ़ आपदा से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए पूर्णियाँ जिले में नाव की आवश्यकता है। दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है-

निविदादाताओं को मो0-10,000.00 (दस हजार) रू0 जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत प्रशाखा, पूर्णियाँ में जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से भुगतये होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 20.12.13 के अपराह्न 2.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।


## नाव का विवरण


क्र०	नाव का प्रकार	साईज	नाव की पूर्ण लकड़ी साईज	संख्या	लकड़ी का प्रकार	अन्य विवरण
1	बड़ी नाव	25'X6'X2'	<ol style="list-style-type: none"> <li>नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 इंच</li> <li>तरी की चौड़ाई-72 इंच (06 फीट)</li> <li>तरी की लम्बाई-20 फीट</li> <li>तरी पर सर्पोटर मोटाई- 4"X2" 14 पीस</li> <li>बगली-तख्ता की मोटाई-1 इंच-26'X2'X1' (दोनों साईड)</li> <li>बगली दिवाल-तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई-4"X2" (दोनों साईड)14 पीस</li> <li>बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"X1.25" (दोनों साईड)</li> <li>रस्सी बाँधने वाला खुंटा-3"X2.5" 02 पीस</li> <li>मलाह मांग पाटन दोनों साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर 4"X2" दोनों साईड (05 फीट लम्बाई में )</li> <li>उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)- 4"X2" 04 पीस</li> <li>आगे-पीछे मांग 6"X4"X3.5' 02 पीस.</li> </ol>	175 (अदद)	<p>पूर्णरूपेण सखुआ-100%</p> <p>जामुन-70% सखुआ-30%</p>	दर प्रति नाव अंकित होगा।
2	मझोली नाव	20'X5'X1.9'	<ol style="list-style-type: none"> <li>नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 इंच</li> <li>तरी की चौड़ाई-60 इंच (05 फीट)</li> <li>तरी की लम्बाई-17 फीट</li> <li>तरी पर सर्पोटर- 3"X2" 10 पीस</li> <li>बगली-तख्ता-1 इंच 21'X1.5'X1' (दोनों साईड)</li> <li>बगली दिवाल-तख्ता पर सर्पोटर- 3"X2" (दोनों साईड) 10 पीस</li> <li>बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"X1.25" (दोनों साईड)</li> <li>रस्सी बाँधने वाला खुंटा-3"X2.5" 02 पीस</li> <li>मलाह मांग पाटन दोनों साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर 4"X2" दोनों साईड (04 फीट लम्बाई में )</li> <li>उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)-मोटाई 4"X3" 03 पीस</li> <li>आगे-पीछे मांग की मोटाई-5"X3" 02 पीस</li> </ol>	50 (अदद)	<p>पूर्णरूपेण सखुआ-100%</p> <p>जामुन-70% सखुआ-30%</p>	दर प्रति नाव अंकित होगा।

## निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक माह के भीतर स्वीकृत साईज यथा बड़ी नाव में बगली 22 इंच, पेट 06 फीट, गूठा 3/4 इंच बांस तल्ली 2 से 3 इंच लकड़ी 2 इंच का एवं मझोली नाव में बगली 18 इंच, पेट 5.5 फीट, गूठा 3/4 इंच बांस तल्ली 2 से 3 इंच, लकड़ी 2 इंच का तथा दर के अनुरूप गुणवत्ता एवं संख्या के अनुसार नाव की आपूर्ति निश्चित रूप से करेंगे तथा बाढ़ से प्रभावित अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देगे। इसके लिए अलग से परिवहन भाड़ा देय नहीं होगा।

2. निविदा के साथ अपने प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर, निबंधित वैट संख्या एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र पी0एन0आर0 संख्या सहित संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/फार्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
4. निविदा में नाव की दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ से कराकर जितनी नाव क्रय कि जायेगी, उनकी बाहरी दीवार पर पेंट से नावों की क्र0 सं0 एवं लदान क्षमता अंकित रहना आवश्यक होगा। सरकारी नावों को पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा जाएगा ताकि ज्ञात हो सके की वे सरकारी नावों है। साथ ही उन पर आपदा प्रबंधन विभाग, क्र0 सं0, जिले का नाम एवं लदान क्षमता अंकित रहना आवश्यक होगा।
6. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
7. नाव आपूर्तिकर्ता को आदेश के तुरंत बाद स्वीकारनामा (एग्रीमेंट) करना होगा कि निर्धारित समय पर उनके द्वारा निर्धारित मापदंड का नाव का आपूर्ति कर दिया जायेगा। नाव आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी एवं अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
8. नाव में प्रयुक्त लकड़ी की गुणवत्ता की जाँच में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ (लकड़ी विशेषज्ञ) का एक जाँच टीम गठित किया जाता है। दर निर्धारण के उपरांत राशि का आकलन शेड्यूल ऑफ डिलीवरी के अनुसार राशि की मांग विभाग से की जाएगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
10. आपूर्ति किये गये नाव के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0टी0 देय होगा, जिसका कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
11. उक्त निविदा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय अवधि में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, समाहरणालय परिसर पूर्णियाँ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। जिसका दूरभाष संख्या-06454-242319 है।
12. बिना कारण निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

  
प्र0स0

  
समाहर्ण पदाधिकारी


अपर समाह


  
25/11/13

जिला पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ।


ज्ञापांक 797 / आ0प्र0, पूर्णियाँ, दिनांक 25.11.2013

- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियाँ/नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्र0स0

  
समाहर्ण पदाधिकारी

अपर समाह

  
25/11/13  
जिला पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ।

झापांक 797 / आ0प्र0, पूर्णियाँ, दिनांक 25.11.13

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है अपने-अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/11/13  
मुद्रांक

अपर सचिव

अपर सचिव

25/11/13

जिला पदाधिकारी,  
पूर्णियाँ।